

2021 चुनाव समिति उप-क्षेत्र साधारण चुनाव संक्षिप्त

चुनाव समिति उप-क्षेत्र चुनाव

नेशनल पीपल्स कांग्रेस ("NPC") ने 11 मार्च 2021 को हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ("निर्णय") की चुनावी प्रणाली में सुधार पर निर्णय पारित किया और NPC की स्थायी समिति ("NPCSC") को अधिकृत किया ताकि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी के चयन के लिए विधि पर बुनियादी कानून में एनेक्स I और HKSAR की विधान परिषद के गठन और उसकी मतदान प्रक्रियाओं के लिए विधि पर बुनियादी कानून में एनेक्स II का संशोधन किया जा सके। NPCSC ने 30 मार्च 2021 को बुनियादी कानून के संशोधित एनेक्स I और एनेक्स II को अपनाया। HKSAR की सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को चुनाव प्रणाली में सुधार (समेकित संशोधन) बिल 2021 ("द बिल") को विधान परिषद ("LegCo") में पेश किया, जिसे LegCo ने 27 मई 2021 को पारित किया था। इम्प्रूविंग इलेक्टोरल सिस्टम (समेकित संशोधन) अध्यादेश 2021 गजट में प्रकाशित हुआ था और 31 मई 2021 को प्रभावी हुआ था।

बुनियादी कानून के एनेक्स I और एनेक्स II के अनुसार, चुनाव समिति ("EC") जो कि 1,500 सदस्यों से बनी है, जो हांगकांग के स्थायी निवासी होने चाहिए, मुख्य कार्यकारी और LegCo के कुछ सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार होंगे। चुनाव समिति मुख्य कार्यकारी (CE) और LegCo चुनावों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

चुनाव आयोग के पांच क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई उप-क्षेत्र शामिल हैं (कुल 40 उप-क्षेत्रों के साथ)।

चुनाव आयोग के सदस्यों को वापस लाने के तीन तरीके हैं, अर्थात् पदेन सदस्यता, विशिष्ट उप-क्षेत्रों के नामित निकायों द्वारा नामांकन और पंजीकृत कॉर्पोरेट या उप-क्षेत्रों के व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा चुनाव। 40 उप-क्षेत्रों में से, NPC के लिए HKSAR के डिप्टी, चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस ("CPPCC") की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य, NPC स्थायी समिति के तहत HKSAR के बुनियादी कानून के लिए समिति के हांगकांग सदस्य, LegCo सदस्य, वाइस चांसलर या विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या विश्वविद्यालयों की परिषद के अध्यक्ष, और कुछ वैधानिक निकायों के प्रभारी व्यक्ति, विशिष्ट उप-क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सलाहकार समितियां और संबंधित संगठन पदेन सदस्य होंगे। धार्मिक उप-क्षेत्र के सभी सदस्य और मुख्यभूमि उप-क्षेत्र में हांगकांग के निवासियों के संघों के प्रतिनिधि, प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-क्षेत्र के कुछ सदस्य, लेखा उप-क्षेत्र, कानूनी उप-क्षेत्र, खेल, प्रदर्शन कला, संस्कृति और प्रकाशन उप-क्षेत्र, और चीनी चिकित्सा उप-क्षेत्र विशिष्ट उप-क्षेत्रों के नामित निकायों द्वारा नामांकित किया जाएगा। EC के बाकी सदस्य पंजीकृत कॉर्पोरेट या उप-क्षेत्रों के व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे।

EC के नए कार्यकाल के लिए, उप-क्षेत्र के साधारण चुनावों द्वारा अधिकतम 982 सीटें लौटाई जाएंगी, 156 सीटें विशिष्ट उप-क्षेत्रों के नामित निकायों द्वारा नामांकन द्वारा लौटाई जाएंगी, जबकि न्यूनतम 362 सीटें पदेन सदस्य होंगी।

नवगठित चुनाव आयोग CE (5-वर्ष) के नए कार्यकाल का चुनाव करेगा। यदि CE के कार्यालय की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो सेवारत EC एक नए CE के चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा। यदि CE के कार्यालय में रिक्ति होने के बाद 6 महीने के भीतर एक नए कार्यकाल (5-वर्ष) के CE के लिए चुनाव होना है, तो उप-चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। CE का चुनाव करने के लिए उप-चुनाव आयोजित होने से पहले, EC सदस्यों के बीच रिक्तियां होने पर EC की सदस्यता को अपडेट करने के लिए एक उप-क्षेत्र उप-चुनाव और/या पूरक नामांकन आयोजित किया जाएगा। हालांकि, यदि एक CE का चुनाव करने के लिए उप-चुनाव आयोजित होने से एक वर्ष के भीतर EC की सदस्यता को अपडेट किया गया है तो कोई उप-क्षेत्र उप-चुनाव और/या पूरक नामित नामांकन आयोजित नहीं किया जाएगा। यदि LegCo के वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने की तारीख चुनाव आयोग के गठन की तारीख या EC उप-क्षेत्र उप-चुनाव के लिए अनंतिम रजिस्टर के प्रकाशन की तारीख से 12 महीने से अधिक है, तो EC में रिक्तियों को भरने के लिए, LegCo आम चुनाव से पहले एक EC उप-क्षेत्र उप-चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए।

चुनाव समिति संक्षिप्त

- कार्य: मुख्य कार्यकारी ("CE") चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करना और CE का चुनाव करना; विधान परिषद ("LegCo") चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करना और 40 LegCo सदस्यों का चुनाव करना
- चुनाव समिति का कार्यकाल ("EC"): प्रत्येक EC का कार्यकाल 5 वर्ष है। 2021 में EC के नए कार्यकाल के लिए, पद की अवधि पांच साल होगी और 22 अक्टूबर 2021 को शुरू होगी और 21 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगी।
- EC निम्नलिखित पांच क्षेत्रों के 1500 सदस्यों से बना है -
 - औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय क्षेत्र
 - पेशे
 - जमीनी स्तर, श्रम, धार्मिक और अन्य क्षेत्र
 - विधान परिषद के सदस्य, जिला संगठनों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि
 - हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ("HKSAR") के नेशनल पीपल्स कांग्रेस ("NPC") के डिप्टी, चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस ("CPPCC") की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य और प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के हांगकांग के सदस्यों के प्रतिनिधि।

संरचना, वापिस आने वाले सदस्यों और उप-क्षेत्रों के निर्वाचकों के लिए विधि

उप-क्षेत्र	सीटें	पदेन सदस्यों की संख्या	नामांकित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या	निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या
प्रथम क्षेत्र: औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय क्षेत्र (300 सदस्य)				
1. खानपान	16	0	0	16
2. वाणिज्यिक (प्रथम)	17	0	0	17
3. वाणिज्यिक (दूसरा)	17	0	0	17
4. वाणिज्यिक (तीसरा)	17	0	0	17
5. हांगकांग के नियोक्ता संघ	15	0	0	15

6.	वित्त	17	0	0	17
7.	वित्तीय सेवाएं	17	0	0	17
8.	होटल	16	0	0	16
9.	आयात और निर्यात	17	0	0	17
10.	औद्योगिक (प्रथम)	17	0	0	17
11.	औद्योगिक (दूसरा)	17	0	0	17
12.	बीमा	17	0	0	17
13.	अचल संपत्ति और निर्माण	17	0	0	17
14.	लघु और मध्यम उद्यम	15	0	0	15
15.	कपड़ा और परिधान	17	0	0	17
16.	पर्यटन	17	0	0	17
17.	ट्रांसपोर्ट	17	0	0	17
18.	थोक और खुदरा	17	0	0	17
दूसरा क्षेत्र: पेशे (300 सदस्य)					
1.	एकाउंटेंसी	30	0	15	15
2.	वास्तुकला, सर्वेक्षण, योजना और परिदृश्य	30	15	0	15
3.	चीनी दवा	30	0	15	15
4.	शिक्षा	30	16	0	14
5.	अभियांत्रिकी	30	15	0	15
6.	कानूनी	30	6	9	15
7.	चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं	30	15	0	15
8.	समाज कल्याण	30	15	0	15
9.	खेल, प्रदर्शन कला, संस्कृति और प्रकाशन	30	0	15	15
10.	प्रौद्योगिकी और नवाचार	30	0	15	15
तीसरा क्षेत्र: जमीनी स्तर, श्रम, धार्मिक और अन्य क्षेत्र (300 सदस्य)					
1.	कृषि और मत्स्य पालन	60	0	0	60
2.	चीनी साथी नगरवासियों के संघ	60	0	0	60

3.	जमीनी स्तर के संघ	60	0	0	60
4.	श्रम	60	0	0	60
5.	धार्मिक	60	0	60	0
चौथा क्षेत्र: विधान परिषद के सदस्य, जिला संगठनों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि (300 सदस्य)					
1.	विधान परिषद के सदस्य	90	90	0	0
2.	हंगुंग यी कुक	27	0	0	27
3.	मुख्यभूमि में हांगकांग के निवासियों के संघों के प्रतिनिधि	27	0	27	0
4.	क्षेत्रीय समितियों, जिला अपराध से लड़ाई समितियों, और हांगकांग और कॉव्लून की जिला अग्नि सुरक्षा समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधि	76	0	0	76
5.	क्षेत्र समितियों, जिला अपराध से लड़ाई समितियों और न्यू टेरिटरीज की जिला अग्नि सुरक्षा समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधि	80	0	0	80
पांचवां क्षेत्र: NPC के लिए HKSAR के डिप्टी, CPPCC की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य और प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के हांगकांग के सदस्यों के प्रतिनिधि। (300 सदस्य)					
1.	NPC के लिए HKSAR के डिप्टी और CPPCC की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य	190	190	0	0
2.	प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के हांगकांग के सदस्यों के प्रतिनिधि	110	0	0	110
कुल:		1 500			

टिप्पणियाँ:

1. NPC के लिए HKSAR के डिप्टी या CPPCC की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य पांचवें सेक्टर में एक के अलावा किसी अन्य उप-क्षेत्र में EC सदस्य के रूप में पंजीकरण करना चुन सकता है, जिसके साथ उसका पर्याप्त संबंध है। इन मामलों में, पदेन सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उप-क्षेत्र उपचुनाव द्वारा लौटाई जाने वाली सीटों की संख्या तदनुसार कम कर दी जाएगी। EC के कार्यकाल के भीतर, पदेन सदस्यों और नामांकन या चुनाव द्वारा लौटाए जाने वाले सदस्यों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी।
2. EC के उप-क्षेत्र पंजीकृत कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। जब तक चुनावी कानून में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक एक संघ या उद्यम एक उप-क्षेत्र के लिए एक कॉर्पोरेट मतदाता बन सकता है, यदि वह उस उप-क्षेत्र के लिए प्रासंगिक योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन साल से काम कर रहा हो।

वापिस आने वाले सदस्यों के लिए तरीके

	विधि	सीटें
(1)	<p>पदेन सदस्य जिसके लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है</p> <p>(LegCo सदस्यों, NPC के लिए HKSAR के डिप्टी, CPPCC की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य, NPC की स्थायी समिति के तहत HKSAR के बुनियादी कानून के लिए समिति के हांगकांग सदस्य, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर या अध्यक्ष या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या विश्वविद्यालयों की परिषद के अध्यक्ष, और कुछ वैधानिक निकायों के प्रभारी व्यक्ति, महत्वपूर्ण सलाहकार समितियां और विशिष्ट उप-क्षेत्रों में संबंधित संगठन शामिल हैं)</p>	362
(2)	<p>विशिष्ट उप-क्षेत्रों के पाल निकायों द्वारा नामांकन</p> <p>(धार्मिक उप-क्षेत्र के सभी सदस्यों और मुख्यभूमि उप-क्षेत्र में हांगकांग के निवासियों के संघों के प्रतिनिधियों सहित, प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-क्षेत्र के कुछ सदस्य, लेखा उप-क्षेत्र, कानूनी उप-क्षेत्र, खेल, प्रदर्शन कला, संस्कृति और प्रकाशन उप-क्षेत्र, और चीनी चिकित्सा उप-क्षेत्र। कृपया नामांकित संगठनों और नामांकित सदस्यों की संख्या के लिए बुनियादी कानून के एनेक्स I को देखें)</p>	156
(3)	<p>उप-क्षेत्रों के पाल कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा चुनाव</p> <p>(केवल चार उप-क्षेत्रों में व्यक्तिगत मतदाता होते हैं, अर्थात्:</p> <p>(i) ह्यूंग यी कुक;</p> <p>(ii) हांगकांग और कॉलून की क्षेत्रीय समितियों, जिला अपराध से लड़ाई समितियों और जिला अग्नि सुरक्षा समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधि;</p> <p>(iii) नए क्षेत्रों की क्षेत्रीय समितियों, जिला अपराध से लड़ाई समितियों और जिला अपराध से लड़ाई समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधि; तथा</p> <p>(iv) हांगकांग के प्रतिनिधि प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य</p> <p>अन्य उप-क्षेत्र कॉर्पोरेट मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे)</p>	982^

¹ NPC स्थायी समिति द्वारा संशोधित बनियादी कानून के एनेक्स I के अनुसार, NPC के लिए एक HKSAR के डिप्टी या CPPCC राष्ट्रीय समिति का एक HKSAR सदस्य किसी अन्य उप-क्षेत्र के साथ पंजीकरण करना चुन सकता है जिसके साथ उसका पर्याप्त संबंध है। ऐसी परिस्थितियों में, बाद के उप-क्षेत्र में निर्वाचित सीटों की संख्या तदनुसार कम कर दी जाएगी।

पदेन सदस्यों का पंजीकरण

- सभी पदेन सदस्यों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ("ERO") को पंजीकरण प्रपत्र जमा करना आवश्यक है और उनके पंजीकरण की वैधता उम्मीदवार पात्रता समीक्षा समिति ("CERC") द्वारा निर्धारित की जाएगी। सामान्यतया, प्रत्येक उप-क्षेत्र (अर्थात् निर्दिष्ट व्यक्ति) में निर्दिष्ट कार्यालयों के धारक उस उप-क्षेत्र के पदेन सदस्यों के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में, निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति (यानी नामित व्यक्ति) को उस उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के लिए नामित कर सकते हैं जो एक प्रासंगिक निकाय में एक पद धारण कर सकते हैं:
 - (i) निर्दिष्ट व्यक्ति पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य है, जिसमें शामिल हैं:
 - वह मौजूदा भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों ("GCs") अंतिम रजिस्टर ("FR") में विधान परिषद अध्यादेश (कैप. 542) के तहत मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है (या पंजीकृत होने के लिए आवेदन नहीं किया है) या GC के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है; या
 - वह बुनियादी कानून के अनुच्छेद 48(5) के तहत एक नामांकन के अनुसार नियुक्त एक प्रमुख अधिकारी है; सरकार के एक निदेशालय अधिकारी; सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी; सरकार का एक सूचना अधिकारी; एक पुलिस अधिकारी; या कोई अन्य सिविल सेवक जो अपनी आधिकारिक क्षमता में एक निर्दिष्ट पद धारण कर रहा है; या
 - (ii) निर्दिष्ट व्यक्ति उप-क्षेत्र को छोड़कर एक से अधिक निर्दिष्ट कार्यालय धारण कर रहा है, जिसकी प्रतिस्थापन व्यवस्था पहले से ही कानून या गैर-लागू उप-क्षेत्रों में निर्दिष्ट है।
- एक पदेन सदस्य या निर्दिष्ट कार्यालय का धारक नामांकन या चुनाव के माध्यम से EC का सदस्य नहीं बन सकता है। एक निर्दिष्ट व्यक्ति को EC से इस्तीफा देने वाला माना जाएगा यदि वह अब प्रासंगिक निर्दिष्ट कार्यालय नहीं रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

नामांकन के माध्यम से EC सदस्यों की वापिस आने की विधि

- प्रत्येक संबंधित नामित निकाय को EC में अपने प्रतिनिधि बनने के लिए उसके द्वारा चुने गए कई व्यक्तियों को नामांकित करना चाहिए। नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना

चाहिए:

- (i) विधान परिषद अध्यादेश (कैप. 542) के तहत GC के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पंजीकृत और योग्य दोनों हैं और इस तरह पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं; तथा
 - (ii) संबंधित उप-क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध है।
- यदि नामित निकाय के नामांकित व्यक्तियों की संख्या आवंटित सीट की संख्या से अधिक है, तो नामित निकाय को यह दर्शाना चाहिए कि निर्दिष्ट संख्या बनाने या रिक्ति को भरने में किस नामांकित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी है; और अधिक नामांकित व्यक्तियों को, यदि एक से अधिक हों, प्रथमता के क्रम में क्रमित करना -चाहिए। यदि नामित निकाय अपनी नामांकित व्यक्तियों की प्राथमिकता को नहीं दर्शाता है तो निर्वाचन अधिकारी (RO) को लॉट ड्रॉ (पर्ची डाल कर चुनाव करना) करके उन नामांकित व्यक्तियों की प्रथमता का क्रम निर्धारित करना चाहिए।
 - CERC को यह निश्चित करना है कि नामांकन फॉर्म में निर्दिष्ट प्रथमता के क्रम के अनुसार नामांकित व्यक्ति वैध रूप से नामांकित हैं या नहीं अथवा जब तक नामित निकाय को आवंटित सीटों की संख्या पूरी नहीं हो जाती है, तब तक RO द्वारा लॉट ड्रॉ (पर्ची डाल कर चुनाव करना) से निश्चित किया जाता है।
 - CERC को उन नामांकित व्यक्तियों की घोषणा करनी चाहिए जिन्हें नियमों के अनुसार EC के सदस्यों के रूप में वैध रूप से नामांकित किया गया है।

नामांकन के लिए व्यवस्था

- प्रत्येक उम्मीदवार को संबंधित उप-क्षेत्र में पांच कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा नामांकित किया जाएगा।
- प्रत्येक कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाता केवल कुछ उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है जो संबंधित उप-क्षेत्रों में निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या से अधिक नहीं होंगे।
- नामांकन अवधि: 6 से 12 अगस्त 2021
- नामांकन फ़ार्म को पंजीकरण और चुनाव कार्यालय ("REO") की वेबसाइट (www.reo.gov.hk), या निम्नलिखित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है:
 - जिला कार्यालय;
 - निर्वाचन अधिकारियों का कार्यालय; या
 - REO के कार्यालय (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong या Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon)

उम्मीदवार के रूप में नामांकित होने के लिए पात्रता

- 18 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है;

- GC के लिए पंजीकृत है; तथा
- संबंधित उप-क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत है (हुंग यी कुक, क्षेत्र समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधियों, जिला अपराध से लड़ाई समितियों, और हांगकांग और कॉव्लून या न्यू टेरिटोरिज की जिला अग्नि सुरक्षा समितियों और हांगकांग के प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के उप-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सदस्यों जहां व्यक्तिगत मतदाता हैं, केवल इन पर लागू होता है) या उस उप-क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध हैं।

मतदान की व्यवस्था

- मतदान का दिन: 19 सितंबर 2021 (रविवार)
- मतदान का समय: सुबह 9:00 बजे से रात 6:00 बजे तक (दंडित संस्थानों में स्थित समर्पित मतदान केंद्रों को छोड़कर जहां मतदान का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा)
- प्रत्येक उप-क्षेत्र के EC के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

मतदान कहां करें

- प्रत्येक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अपना मतदान डालने के लिए एक नामित सामान्य मतदान केंद्र को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान के दिन से कम से कम पांच दिन पहले उन के नामित मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दिखाने वाला एक पोल कार्ड जारी किया जाएगा।
- सभी सामान्य मतदान केंद्र उन व्यक्तियों के लिए सुलभ हैं जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ता हैं या जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है।
- मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि जो हिरासत में हैं, उन्हें उचित रूप में दंडित संस्थानों या पुलिस थाने में मनोनित मतदान केंद्र पर मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
- यदि मतदाताओं को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरूरत है, तो वे 6 से 10 सितंबर 2021 तक और 13 से 19 सितंबर 2021 तक निम्नलिखित हॉटलाइन के माध्यम से अल्पसंख्यक जातियों के लिए केंद्र ("CHEER")से संपर्क कर सकते हैं।

भाषा	हॉटलाइन नंबर
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
हिंदी	3755 6877
नेपाली	3755 6822
पंजाबी	3755 6844
तागालोग	3755 6855
थाई	3755 6866

उर्दू	3755 6833
वियतनामी	3755 6888

मतदान कैसे करें

- 19 सितंबर 2021 (रविवार) को मतदान के समय (सुबह 9:00 से रात 6:00 बजे तक) अपने नामित मतदान केंद्र पर अपने हांगकांग पहचान पत्र ("HKID कार्ड") या अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज (कृपया विवरण के लिए नीचे दिए गए "मतपत्र एकत्र करने के लिए आवश्यक दस्तावेज" अनुभाग देखें) लेकर आएँ और मतदान केंद्र के अंदर मौजूद मतदान कर्मचारी को प्रस्तुत करें। मतदान कर्मचारी आपके HKID कार्ड को स्कैन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोल रजिस्टर ("EPR") प्रणाली का एक टैबलेट उपयोग करेगा ताकि यह जांचा जा सके कि आप संबंधित उप-क्षेत्र के मतदाता हैं या अधिकृत प्रतिनिधि हैं, और मतपत्र की संख्या और प्रकार जिसके आप हकदार हैं। सत्यापन के बाद, मतदान कर्मचारी आपको मतपत्र देंगे और EPR प्रणाली आपको मतपत्र जारी करने को रिकॉर्ड करेगी।
- मतपत्र (मतपत्रों) को संग्रह करने के बाद, मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों और मतपत्र (मतपत्रों) में मुद्रित निर्देशों और कक्ष के अंदर सूचना पत्र के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान कक्ष के अंदर मतपत्र (मतपत्रों) को चिह्नित करना चाहिए। संक्षेप में, कृपया:
 - दिए गए पेन से अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम के सामने गोले को छायांकित करें;
 - संबंधित उप-क्षेत्र में सीटों की निर्धारित संख्या से अधिक के लिए मतदान न करें (वह संख्या मतपत्र पर दिखाई जाएगी); तथा
 - चिह्नित मतपत्र को मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराए गए लिफाफे में रखें, और मतपत्र वाले लिफाफे को लिफाफे पर तीर द्वारा निर्देशित मतपेटी में डाल दें।
- प्रत्येक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अलग मतदान कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान की स्वायत्तता और मतदानों की गोपनीयता के सिद्धांतों के आधार पर, कानून के तहत मतदाता को मतदान डालने के लिए कोई भी (भले ही वह मतदाता का रिश्तेदार या मित्र हो) साथ जाना या उसकी सहायता

करना निषिद्ध है।

- मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि, जो अपने दम पर मतदान डालने में असमर्थ हैं, कानून के अनुसार, अपनी मतदान पसंद के अनुसार अपनी ओर से मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए पीठासीन अधिकारी ("PRO")) या PRO के डिप्टी से मदद मांग सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को एक अन्य मतदान कर्मचारी द्वारा देखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।
- यदि कोई मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि मतपत्र को चिह्नित करने में त्रुटि करता है या अनजाने में मतपत्र खराब कर देता है, तो वह मतपत्र को PRO को वापस कर सकता/सकती है और प्रतिस्थापन की मांग कर सकते हैं।

मतपत्र (मतपत्रों) प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- प्रचलित कानून के तहत, मतपत्र (मतपत्रों) के लिए आवेदन करने वाला मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अपना HKID कार्ड या निम्नलिखित निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज (दस्तावेजों) की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए:
 - HKSAR के वैध पासपोर्ट की मूल प्रति; या
 - छूट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति; या
 - HKID कार्ड के आवेदन स्वीकृति पावती की मूल प्रति; या
 - नाविक या जहाज के कर्मचारी की वैध पहचान पुस्तिका की मूल प्रति; या
 - वीसा उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के पहचान के वैध दस्तावेज की मूल प्रति; या
 - एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी एक प्रामाणिक रिपोर्ट दस्तावेज (आमतौर पर "खोई हुई संपत्ति का एक रिकॉर्ड") कि उस व्यक्ति का HKID कार्ड या छूट का प्रमाण पत्र या HKID कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृति पावती खो गए या नष्ट हो गए हैं, उसके नाम और फोटो को दर्शाते हुए एक वैध पासपोर्ट* या इसी तरह के यात्रा दस्तावेज की मूल प्रति के साथ (जैसे कि HKSAR पासपोर्ट के अलावा अन्य पासपोर्ट या घर वापसी परमिट)।
- * ब्रिटिश नेशनल (विदेशी) पासपोर्ट एक वैध यात्रा दस्तावेज और पहचान का प्रमाण नहीं है।
- विवरण के लिए, कृपया चुनावी मामलों के आयोग (चुनाव प्रक्रिया) (चुनाव समिति) विनियमन (कैप. 541I) की अनुभाग 50 देखें।

जरूरतमंद मतदाताओं के लिए विशेष कतार

- केवल मतदाताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति है।
- "निष्पक्ष और समान व्यवहार" सिद्धांत के तहत, मतदाताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान

देने के लिए कतार में लगना चाहिए। मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए दूसरों से सहायता की आवश्यकता वाले मतदाता और अधिकृत प्रतिनिधि PRO से अनुरोध कर सकते हैं।

- यदि PRO इस बात से संतुष्ट है कि मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आने वाला या वहां मौजूद व्यक्ति नीचे दिए गए विवरण के अंतर्गत आता है, तो PRO उस व्यक्ति को मतपत्र के लिए आवेदन करने के लिए तुरंत नामित क्षेत्र या कतार के अंत में जाने का निर्देश दे सकता है, यदि उस क्षेत्र से एक कतार फैली हुई है --
 - जिसकी आयु 70 वर्ष से कम न हो*;
 - जो गर्भवती है; या
 - जो कतार में लंबे समय तक नहीं रह सकता है या बीमारी, चोट, विकलांगता या गतिशीलता सहायता पर निर्भरता के कारण कतार में लगने में कठिनाई होती है।

* निम्नलिखित व्यक्तियों सहित-

- जिसका दस्तावेज़ जन्म के महीने और दिन के बिना, उस व्यक्ति के जन्म का वर्ष जो मतदान के दिन पड़ने वाले वर्ष से 70 वर्ष पहले है; या
- जिसका दस्तावेज़ जन्म के दिन के बिना, उस व्यक्ति के जन्म का वर्ष जो मतदान के दिन पड़ने वाले वर्ष से 70 वर्ष पहले है और व्यक्ति का जन्म का महीना जो उस महीने के समान है जिसके भीतर मतदान का दिन पड़ता है।
- PRO उपरोक्त मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि के लिए मतदान केंद्र के अंदर आराम करने के लिए एक बैठने की जगह भी निर्दिष्ट करेगा, यदि वह आराम करना चाहें तो। आराम करने के बाद, वे मतपत्र जारी करने वाले डेस्क पर जाने से पहले विशेष कतार में कतार में लग सकते हैं।
- मतदान की स्वायत्तता और मतदानों की गोपनीयता के सिद्धांतों के आधार पर, कानून किसी को भी (भले ही वह मतदाता का रिश्तेदार या मित्र हो) मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मतदान डालने के लिए साथ जाना या उसकी सहायता करने से रोकता है। मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि, जो अपने दम पर मतदान डालने में असमर्थ हैं, कानून के अनुसार, अपनी मतदान पसंद के अनुसार अपनी ओर से मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए, गवाह के रूप में एक मतदान कर्मचारी की उपस्थिति में PRO या PRO के डिप्टी से मदद मांग सकते हैं। PRO को कार्य स्वाधीनता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, जहां उचित हो, साथ देने वाले व्यक्तियों को मतदाताओं के साथ विशेष कतार का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए जिन्हें वास्तव में दूसरों के साथ जाने की आवश्यकता है।

मतदाता/अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए जाँच सूची

- भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग ("ICAC") द्वारा लागू किए जाने वाले चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप. 554) के अनुसार, एक मतदाता को हांगकांग या अन्य जगहों पर निम्नलिखित नहीं करना :
 - चुनाव में मतदान न डालने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान डालने या न डालने

के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा, उपहार, सहित इत्यादि), खाना, पेय या मनोरंजन मांगना या स्वीकार करना।

- किसी भी व्यक्ति को किसी चुनाव में किसी को मतदान न देने, या विशेष उम्मीदवार को मतदान देने या न देने के लिए किसी पुरस्कार के रूप में किसी भी व्यक्ति को (पैसा, उपहार, आदि), भोजन, पेय या मनोरंजन के लिए कोई भी लाभ प्रदान करना।
 - किसी चुनाव में मतदान देने या न देने या किसी विशेष उम्मीदवार को मतदान देने या न देने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ बल या अवरोध का उपयोग करना या उपयोग की धमकी देना।
 - किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में किसी विशिष्ट उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों को मतदान देने या न देने के लिए धोखे से प्रेरित करना, या चुनाव में मतदान न करना।
 - किसी व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से धोखे से रोकना या उसमें अवरोध उत्पन्न करना।
 - चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक रूप से किसी भी गतिविधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मतदान न करने या चुनाव में अमान्य मतदान डालने के लिए उकसाना।
 - मतदान का हकदार न होने की जानकारी होते हुए भी चुनाव में मतदान करना।
 - जानबूझकर या लापरवाही से गलत या भ्रामक जानकारी (उदाहरणतः गलत आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देने के बाद चुनाव में मतदान करना।
- मतदान केंद्रों पर निम्नलिखित गतिविधियाँ भी निषिद्ध हैं :
 - अन्य मतदाताओं के साथ संवाद करना जिसमें मतदान केंद्र पर अपना मत पत्र दूसरों को दिखाना या मतदान केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए मोबाइल टेलीफोन या अन्य उपकरण का उपयोग करना शामिल है।
 - फिल्म बनाना, तस्वीरें लेना या कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना।
 - अन्य मतदाताओं से अपने मत पत्र को चिह्नित करने के लिए कहना - आवश्यकता होने पर, आप PRO से एक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में अपने मतदान-पत्र को चिह्नित करने के लिए कह सकते हैं।
 - अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ, जो अपने मत डाल रहे हैं, हस्तक्षेप करना।
 - ICAC ने प्रासंगिक जानकारी (अंग्रेजी और चीनी दोनों में) प्रदान करने के लिए एक स्वच्छ चुनाव वेबसाइट की स्थापना की है। कृपया www.icac.org.hk/elections देखें।

